[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 30—एच०एल०ए०

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अक्टूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यवसायी पर अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर फीस, ऐसी दर पर अधिसूचित की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, नियत की जाए :

परन्तु प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के मामलों को छोड़कर,—

(क) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी; और

(ख) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें सुपुर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस केवल व्यवहारी पर उद्ग्रहणीय होगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

अधिसूचित चिह्नित क्षेत्र में किसी भी डीलर द्वारा खरीदे या बेचे गए या प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद की बिक्री आय पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली दर पर राज्य सरकार को एचआरडी शुल्क लगाने में सक्षम बनाने के लिए जिसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 में संशोधन आवश्यक है। इस प्रगतिशील बदलाव से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क को बढ़ाने या घटाने के सरकार के आदेशों को तत्काल लागू करने में मदद मिलेगी।

इसलिए यह विधेयक है।

देवेंद्र सिंह बबली,
विकास एवं पंचायत मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 से उद्धरण

फीस का लगाना तथा एकत्रित करना।

5 (1) ऐसी तिथि से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, व्यवहारी पर, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय–आगम का दो प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार आधार पर, फीस उद्गृहीत की जाएगी:–

परन्तु प्रसंस्करण के लिये लाई गई कृषि उपज की दशा के सिवाय,–

(क) किसी ऐसे लेन–देन के सम्बन्ध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी; और

(ख) किसी ऐसे लेन–देने के सम्बन्ध में, जिसमें सुपुर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस केवल व्यवहारी पर उद्ग्रहणीय होगी :

"परन्तु यह और कि 31 दिसम्बर, 2010 तक कपास पर फीस की दर डेढ़ प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि प्रथम नवम्बर, 2011 से कपास पर फीस की दर 0.8 प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि 22 दिसम्बर, 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान आलू पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि प्रथम सितम्बर, 2012 से, केवल सब्जियां तथा फल जो हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथा वर्णित हैं, पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2014 की अधिसूचना की तिथि से, हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित सब्जियां तथा फलों पर कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जाएगी;"

10068—H.V.S.—H.G.P., Pkl.